प्रारूप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

From-I

(For linear projects)

Government of Uttarakhand office of the district Collector **Dehradun**

No. Memo

Dated. 04/06/19

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the ministry of environment and forests (MOEF), government of India's letter no 11-9/98-FC(pt) dated 3rd august 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed and completed the process of settlement of rights under the scheduled tribes and other traditional forest dwellers (recognition of forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 where in MOEF issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that **2.40** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Rajaji National Park** (Name of user agency) for **Rehabilitation** of **outstees** of **Khand Goan -3** (purpose for diversion of forest land) in **Dehradun** district falls within jurisdiction of **Lalpani Block 2** village (s) in rishikesh tehsils.

It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.40 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consolations and meetings of the Forest Rights committee are enclosed as annexure ..... to ....

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it

(c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
देहरादून

From-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand office of the district Collector **Dehradun**

No. Memo

Dated. 04/06/19

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MOEF), government of India's letter no 11-9/98-FC(pt) dated 3rd august 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed and completed the process of settlement of rights under the scheduled tribes and other traditional forest dwellers (recognition of forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 where in MOEF issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that **2.40** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Rajaji National Park** (Name of user agency) for **Rehabilitation** of **outstees** of **Khand Goan -3** (purpose for diversion of forest land) in **Dehradun** district falls within jurisdiction of **Lalpani Block 2** village (s) in **rishikesh** tehsils.

It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.40 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consolations and meetings of the Forest Rights committee are enclosed as annexure ... to .... annexure .....

(b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Grama Sabha forest-dwellers, who are eligible under the FRA.

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processed under the FRA have been carried out, and that they have given their having understood the purpose and details of proposed diversion a copy of certificate issued by the gram sabha of .... Villages (s) is enclosed as annexure ...... to annexure ....

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.

(e) The diversion and decisions of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(f) The rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA.

(g) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it

(h) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी

देहरादून

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT DEHRADUN (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dweller (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Dehradun** district constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. S A Murugesan I.A.S. deputy commissioner Dehradun on dated 04/06/2019 at time .... at .... in which application claiming right in **Lalpani Block-2** area measuring **2.4 Hectors** forest land for the construction of **Rehabilitation** under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Dehradun** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

Place Dehradun

Dated 04/06/2019

Deputy Commissioner-cum-Chairman

जिलाधिकारी

District Level Committee

देहरादून

कार्यालय

जिलाधिकारी, देहरादून

जनपद देहरादून

परियोजना का नाम :— राजाजी राष्ट्रीय पार्क, के अन्तर्गत चीला—मोतीचूर कोरिडोर की पुर्नस्थापना हेतु खाण्ड गांव—3 के परिवारों को देहरादून वन प्रभग की ऋषिकेश रेंज के अन्तर्गत लालपानी क0सं0 2 में विस्थापित करने हेतु

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जनजातिय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त

अनापत्ति प्रमाण पत्र

दिनांक 04/06/19 को जिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षता में वनाधिकारी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलास्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गयी। जिसमें ऋषिकेश स्थित लालपानी कक्ष सं0 2 में 2.40 है0 भूमि राजाजी नेशनल पार्क में प्रस्तावित हाथी कॉरीडोर से प्रभावित विस्थापितो हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा संस्तुति कर जिला स्तरीय समिति को प्रेषित की गयी है, जिसमें कि गैर वानिक कार्य हेतु राजाजी नेशनल पार्क को प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्तभूमि की अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

(जीत सिंह रावत)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून।
जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून

(राजीव धीमान)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग देहरादून।
प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

(एस0 ए0 मुरूगेशन)
जिलाधिकारी
देहरादून।
जिलाधिकारी देहरादून

प्रारूप –30.2

परियोजना का नाम :– राजाजी राष्ट्रीय पार्क, के अन्तर्गत चीला–मोतीचूर कोरिडोर की पुर्नस्थापना हेतु खाण्ड गांव–3 के परिवारों को देहरादून वन प्रभग की ऋषिकेश रेंज के अन्तर्गत लालपानी क0सं0 2 में विस्थापित करने हेतु

कार्यालय उपजिलाधिकारी ऋषिकेश
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधियियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड़ **ऋषिकेश** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **2.40** है0 आरक्षित वन भूमि **0.0 है0** सिविल एवं सोयम वन भूमि **0.0 है0** वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल **2.40 है0** वन भूमि का **राजाजी राष्ट्रीय पार्क** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील **ऋषिकेश**) की दिनांक ..24/5/19........ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक **श्री प्रेमलाल** उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क्र.सं.	अधिकारी नाम	पदनाम	समिति में पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री प्रेमलाल	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	[signature]
2	श्री बी0 बी0 मर्तोलिया	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	[signature]
3	श्री महेश प्रताप सिंह	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	[signature]
4	श्री राकेश सिंह	पार्षद, नगर निगम ऋषिकेश	सदस्य	[signature]

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई माननीय सदस्यों की अवगत कराया गया कि **राजाजी राष्ट्रीय पार्क, के अन्तर्गत चीला–मोतीचूर कोरिडोर की पुर्नस्थापना हेतु खाण्ड गांव–3 के परिवारों को देहरादून वन प्रभग की ऋषिकेश रेंज के अन्तर्गत लालपानी क0सं0 2 में विस्थापित करने हेत** परियोजना हेतु **2.40 है0 आरक्षित** वन भूमि **राजाजी राष्ट्रीय पार्क** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये

जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्पत्ति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्वतन के अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी **ऋषिकेश** द्वारा जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/नगर निगम द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **ऋषिकेश** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **राजाजी राष्ट्रीय पार्क** परियोजना के निर्माण हेतु **2.40 है0** वन भूमि **राजाजी राष्ट्रीय पार्क** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किय जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील :– ऋषिकेश
जनपद :– देहरादून

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील :– ऋषिकेश
जनपद :– देहरादून

प्रारूप –30.3

परियोजना का नाम :– राजाजी राष्ट्रीय पार्क, के अन्तर्गत चीला–मोतीचूर कोरिडोर की पुर्नस्थापना हेतु खाण्ड गांव–3 के परिवारों को देहरादून वन प्रभग की ऋषिकेश रेंज के अन्तर्गत लालपानी क0सं0 2 में विस्थापित करने हेतु

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
नगर निगम का नाम ऋषिकेश
तहीसल ऋषिकेश जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **देहरादून** के अन्तर्गत **राजाजी राष्ट्रीय पार्क, के अन्तर्गत चीला–मोतीचूर कोरिडोर की पुर्नस्थापना हेतु खाण्ड गांव–3 के परिवारों को देहरादून वन प्रभग की ऋषिकेश रेंज के अन्तर्गत** लालपानी क0सं0 2 में विस्थापित करने हेतु परियोजना के निर्माण हेतु **2.40है0** आरक्षित वन भूमि **0.0 हैक्टेयर** सिविल सोयम भूमि **0.0 है0**, वन पंचायत भूमि 0 है0) अर्थात कुल **2.40है0** वन भूमि का **राजाजी राष्ट्रीय पार्क** विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में **नगर निगम ऋषिकेश** द्वारा दिनांक 14/5/19 को सम्पन्न नगर निगम की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई है। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त नगर निगम द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि **खाण्ड गांव–3** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **राजाजी राष्ट्रीय पार्क** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

प्रभाकर शर्मा
प्रभाकर शर्मा (सोनू)
पार्षद
नगर निगम, ऋषिकेश

विजय बडोनी
पार्षद वार्ड नं0 33
गीतानगर, ऋषिकेश

भगवान सिंह पंवार
पार्षद
नगर निगम, ऋषिकेश

हस्ताक्षर
राकेश सिंह
पार्षद वार्ड न0-12
नगर निगम, ऋषिकेश

श्रीमति रीना शर्मा
पार्षद
नगर निगम ऋषिकेश

Pushpa Mishra (Ward No-1)

पार्षद वार्ड न0 27

Ajit Singh
No-16

मनीष बनवाल
पार्षद
नगर निगम, ऋषिकेश

(अनीता ममगाई)
महापौर
नगर निगम, ऋषिकेश

प्रपत्र–30.4

दिनांक–14/5/19.....को नगर निगम की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

नगर निगम–ऋषिकेश

क्रमांक	नगर निगम मे उपस्थित वरिष्ठ नगर वासियो के नाम		हस्ताक्षर
1	राकेश सिंह	9412050345	[signature]
2	नरेन्द्र सिंह भण्डारी	8630568243	[signature]
3	नीरज अग्रवाल	9412030409	[signature]
4	बुद्धि सिंह रावत	9897309303	[signature]
5	विक्रम सिंह भण्डारी	8273085962	[signature]
6	दिलीप अवस्थी	8954810303	[signature]
7	रमेश चौहान	9149228223	[signature]
8	प्रदीप कुडियाल	9897965844	[signature]
9	श्रीमती नीतू अग्रवाल	8126606404	[signature]
10	अनूप वर्मा	8534860158	[signature]
11	विजयपाल सिंह	9627484318	Vijay
12	धीरज डोभाल	9927602402	[signature]
13	गौरभ मिश्रा	8630905363	Gaurav
14	अंकित सैनी	8077629327	[signature]
15	नवीन गुप्ता	9927090552	[signature]
16	बृजनन्दन कोठियाल	9412055707	[signature]
17	श्रीमती रीता भण्डारी	9412439696	Reeta
18	राजेश नौटियाल	9412352532	[signature]
19	श्रीमती बीना	9412050345	[signature]
20	जगदीश थपलियाल	9412055450	[signature]
21	राजेन्द्र कुमार पन्त	9897879330	[signature]
22	हिम्मत सिंह	9412953982	[signature]
23	श्रीमती जलमा देवी		जलमा देवी